छत्तीसगढ उच्च न्यायालय बिलासपुर

द्वितीय अपील क्रमांक 59/2007

1. बागरमल, आ. स्व राम प्रताप उम्र लगभग 45 वर्ष,

2. फतको बाई, पति स्व. राम प्रताप, उम्र लगभग 65 वर्ष,

दोनो निवासी राकेली थाना तहसील अंबिकापुर जिला सरगुजा छ.ग.

................**(वादी) अपीलार्थी**

विरुद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. धान्नी, आ. स्व.जुगेश्वर राम, उम्र लगभग 30 वर्ष,

2. लक्ष्मण, आ. स्व.जुगेश्वर राम, उम्र लगभग 20 वर्ष,

3. पुतपरहिन बाई, पति स्वी. जुगेश्वर राम, उम्र लगभग 47 वर्ष,

4. गेंडी, आ. स्व. राम प्रताप, उम्र लगभग 46 वर्ष,

5. गंजा राम, आ. स्व. राम प्रताप, उम्र लगभग 36 वर्ष,

6. लाल राम, आ. स्व. राम प्रताप, उम्र लगभग 42 वर्ष,

   सभी निवासी रकेली गांव, थाना व तहसील अंबिकापुर, जिला रायगढ़ छ.ग.

7. छ.ग. शासन द्वारा कलेक्टर सरगुजा छ.ग.

..........................**(प्रतिवादी)**

उत्तरवादी

....

अपीलार्थी द्वारा श्री अनुराग वर्मा अधिवक्ता ।
उत्तरवादी क्रमांक 01 से 04 एवं 06 को समंस तामिल, उपस्थित नहीं ।
उत्तरवादी क्रमांक 05 द्वारा श्री वैभव अग्रवाल अधिवक्ता वास्ते श्री ओम प्रकाश अग्रवाल अधिवक्ता ।
उत्तरवादी क्रमांक 07 द्वारा श्री रवि कुमार भगत उप शासकीय अभिभावक ।

....

माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय कुमार अग्रवाल

निर्णय

दिनांक 07.01.2020

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

01. वादी द्वारा प्रस्तुत यह अपील निम्नलिखित विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न के आधार पर स्वीकार कर ली गई –

"क्या पंचम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 अंबिकापुर के द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 192 अ/2004 में घोषित निर्णय एवं पारित डिक्री को इस आधार पर उलटना उचित है कि वादी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि वे राम प्रताप के पुत्र है ? "

(सुविधा की दृष्टि से इसके पश्चात पक्षकारो को उनके उसी नाम से संबोधित किया जायेगा जिस तरह से वे विचारण न्यायालय के समक्ष संबोधित किये जाते थे।)

02. विवादित संपत्ति मूल रुप से रामप्रताप नामक व्यक्ति के कब्जे में थी । बागरमल वादी क्रमांक 1 और फातकों बाई–वादी क्रमांक 2 के द्वारा खुद को राम प्रसाद के पुत्र एवं पत्नी बताकर स्वत्व की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया था। इसके साथ–साथ प्रतिवादीगण राम प्रताप के दूसरी पत्नी सुखदैया के पुत्र व पुत्री होनो बता कर वादी के कब्जे में अवरोध पैदा कर रहे है इसलिए स्वत्व की घोषणा कर स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जावें। जिसके जवाब में

प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा पेश कर यह कथन किया है कि वादीगण राम प्रताप के पुत्र एवं पत्नी नहीं है बल्कि प्रतिवादीगण राम प्रताप की पत्नी सुखदैया के पुत्र एवं पुत्री है । इसलिए वादी उपरोक्त आज्ञाप्ति के अधिकारी नहीं है ।

3. मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की सराहना करने के बाद विचारण न्यायालय ने प्रदर्श पी 07 से प्रदर्श पी 11 पर अधारित होकर यह निर्धारित किया कि वादीगण रामप्रताप के पुत्र और उनकी पत्नी है । जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने यह मानते हुए कि वादीगण रामप्रताप के पुत्र और पत्नी नहीं है उलट दिया और आगे यह निर्धारित किया गया कि वादी डिक्री के हकदार नहीं है और अपील स्वीकार कर ली जिसके विरुद्ध यह दूसरा अपील वादी द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत मामला प्रस्तुत किया गया है जिसमे कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किया गया है जिसे इस निर्णय के प्रारंभिक कंडिका में उल्लेखित किया गया है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. श्री अनुराग वर्मा अपीलकर्ताओं यहां/वादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील, ने यह तर्क किया है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय का यह निर्धारित करना कि वादी स्व. रामप्रताप का पुत्र नहीं है और विधवा नहीं है पूरी तरह अनुचित है जो कि वाद प्रश्न क्रमांक 01 के परिणाम को उलटना है। इसलिए प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय और डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है तथा विचारण न्यायालय का निर्णय पुनस्थापित किया जाना आवश्यक है ।

5. श्री वैभव अग्रवाल, अधिवक्ता, श्री ओम प्रकाश अग्रवाल, प्रतिवादी क्रमांक 5 के विद्वान वकील/प्रतिवादी क्रमांक 3 की ओर से उपस्थित ने आरोपित निर्णय एवं डिक्री का समर्थन किया ।

6. मैने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा उनके तर्कों पर विचार किया है । प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियां यहां उपर दी गई है और यह भी देख गया अत्यंत सावधानी के साथ रिकार्ड करें ।

7. विचारण न्यायालय द्वारा इस तथ्य के संबंध में एक वाद प्रश्न तैयार किया गया कि क्या वादीगण स्व. रामप्रताप पुत्र एवं विधवा है जिनसे संपत्ति का स्वामित्व था और प्रदर्श पी 07 से प्रदर्श पी 11 जो कि मतदाता सूची की छायाप्रतियां है के आधार पर निष्कर्ष पर पहूंचा गया कि वादीगण रामप्रताप के पुत्र है और रामप्रताप की विधवा है । विशेष रुप से एक निष्कर्ष दर्ज किया कि प्रतिवादीगण रामप्रताप की दूसरी पत्नी सुखदैया के पुत्र एवं पुत्रियां है। स्पष्ट रुप से माना कि रामप्रताप की पत्नी फतको बाई है और वादी क्रमांक 1 रामप्रताप का बेटा है । जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा प्रदर्श पी 07 से प्रदर्श पी 11 के मतदाता सूची में अविश्वास करते हुए उलट दिया गया । प्रदर्शपी 01 राम प्रताप द्वारा वादी क्रमांक 01 के विरुद्ध किया गया पुनरीक्षण आवेदन है जिसमें वादी क्रमांक 01 को भरण पोषण प्रदान किये जाने का आदेश दिया गया था । प्रदर्शपी 02 धारा 488 द०प्र०स० के अंतर्गत पारित आदेश में मजिस्ट्रेट द्वारा रामप्रताप के विरुद्ध पारित आदेश दिनांक 01.09.1955 के परिपालन कराए जाने हेतु आदेशति किया गया है । इसी प्रकरण के प्रदर्श पी 07 से प्रदर्श पी 11 मतदाता सूचियों है जिसमें वादी क्रमांक 1 रामप्रताप का पुत्र तथा वादी क्रमांक 2 को रामप्रताप की विधवा के रुप में दिखाया गया है, जिसे विचारण न्यायालय ने साक्ष्य के रुप में स्वीकार कर लिया, लेकिन प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त निष्कर्ष को इस आधार पर पलट दिया कि ऐसे दस्तावेज उस व्यक्ति से प्रमाणित नहीं किया गया है जिसके द्वारा मतदाता सूची तैयार किया था ।

8. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 35 में निम्नलिखित प्रावधान हैः–

"35 **कर्तव्य के पालन में लोक अभिलेख या इलेक्ट्रांकि अभिलेख में की गई प्रविष्टि की प्रासंगिकता–** किसी लोक या अन्य आधिकारिक पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख या इलेक्ट्रानिक अभिलेख में कोई प्रविष्टि, जिसमें कोई मुद्दागत तथ्य या प्रासंगिक तथ्य बताया

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

गया हो, और जो किसी लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में, या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस देश के कानून द्वारा विशेष रुप से निर्दिष्ट कर्तव्य के पालन में की गई हो जिसमें ऐसी पुस्तक रजिस्ट्रर या अभिलेख या इलेक्ट्रानिक अभिलेख रखा जाता है तो वह स्वयं एक प्रासंगिक तथ्य है ”

9. साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत जब लोक सेवक का यह कर्तव्य हो कि वह लोक दस्तावेज या किसी अन्य सरकारी पुस्तक में कुछ प्रविष्टियां करे तब ऐसे साक्ष्य स्वीकारे है जो प्रविष्टियां अधिकारी द्वारा की गयी हो तथा दर्ज किये गये तथ्यो की सत्यता सिद्ध करते हो । सिद्धांत यह है कि वह एक लोक सेवक द्वारा उसे विशेष रुप से सौंपे गये सार्वजनिक कर्तव्य के निष्पादन में जांच किया गया एक लोक दस्तावेज हो (**सी एफ स्टुर्ला बनाम फ्रेसिया**[1] और **लिलि बनाम पेटेटे**[2] में लार्ड ब्लैकबर्न के अनुसार)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. **बिहार राज्य बनाम राधा कृष्ण सिंह**[3] के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने किसी दस्तावेज को साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत स्वीकार्य /वैधानिक माने जाने के लिये निन्मलिखित तीन प्रावधान निर्धारित किए:

1. दस्तावेज किसी सार्वजनिक संस्था या अन्य सरकारी पुस्तक, रजिस्ट्रर या अभिलेख में प्रविष्टि की प्रकृति का होना चाहिए ।
2. इसमें विवाद्यक तथ्य या प्रासंगिक तथ्य का उल्लेख होना चाहिए ।
3. प्रविष्टि लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में या विशेष रुप से अपने कर्तव्यों के निर्वहन में या उस देश के कानून के निर्वहन जिसमें प्रासंगिक प्रविष्टि रखा है की जानी चाहिए।

11. लोक सेवक द्वारा लोक दस्तावेज या अन्य अधिकारिक पुस्तक, रजिस्टर, या रिकार्ड जो किसी मुद्दे या तथ्य को बताता है जो प्रासंगिक है में की गई प्रविष्टि को

1 (1850)5App C as 623,644
2 (1946)1 All ER 593
3 AIR 1983 SC 684

सुसंगत इसलिए माना गया है क्योकि जब कोई लोक सेवक अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में स्वयं ऐसा करता है, तो यह संभावना अधिक है कि उसके द्वारा सही प्रक्रिया से वह प्रविष्टि किया गया होगा । (**<u>बृजमोहन सिंह बनाम प्रिया ब्रत नारायण सिन्हा एवं अन्य</u>**[4] तथा **<u>राम प्रसाद शर्मा बनाम बिहार राज्य</u>**[5])

12. **<u>रघुनाथ बेहरा बनामलराम बेहरा और अन्य</u>**[6] के मामले में उड़ीसा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रुप से निर्धारित किया है कि मतदाता सूची एक सार्वजनिक दस्तावेज होने के कारण वह स्वीकार्य साक्ष्य है और सूचना के स्त्रोत को जिसे तथ्यों के आधार पर मतदाता सूची में बताई गई जानकारी दर्ज की गई थी प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, और न ही मतदाता सूची तैयार करने वाले व्यक्ति की जांच की जानी की आवश्यकता है। यह भी निर्धारित किया गया कि वे असाधारण स्तर के विश्वास के हकदार है आंशिक रुप से इसलिए कि उन्हे कानून द्वारा रखा जाना आवश्यक है, और आंशिक रुप से क्योकि उनकी विषय–वस्तु सार्वजनिक हित और कुख्याति की है लेकिन मुख्तः क्योकिं वे शपथ की मंजूरी के तहत बनाए जाते है, या कम से कम कार्यालय, मान्यता प्राप्त एजेंटों द्वारा अधिकारिक कर्तव्य के तहत तैयार किया जाता है । उस उद्देश्य के लिए नियुक्त किया गया है ।

13. इसी प्रकार, **<u>चित्रु देवी बनाम श्रीमती राम देई और अन्य</u>**[7], हिलाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने कंडिका 23 में स्पष्ट रुप से निर्धारित किया है कि मतदाता सूची एक सार्वजनिक दस्तावेज है और साक्ष्य के रुप में स्वीकार्य है जब तक कि इसका खंडन ठोस और विश्वसनीय तरीके से न किया जाए। वादी साक्ष्य मतदाता सूची में दर्ज की गई प्रविष्टियां का खंडन करने में विफल रहा है और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर रिकार्ड साबित हुआ है । इस प्रकार यह रिकार्ड पर स्थापित स्थिति है कि सार्वजनिक अभिलेख/मतदाता सूची में प्रविष्टि चुनाव विभाग के सक्षम

4 AIR 1965 SC 282
5 AIR 1970 SC 326
6 AIR 1996 Orissa 38
7 AIR 2002 HP 59

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

प्राधिकारी द्वारा को अपने कर्तव्य के निर्वहन में तैयार की जाती है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 35 के तहत स्वीकार्य है और यदि इसे सक्षम प्राधिकारी के समक्ष किसी भी कार्यवाही में चुनौती नहीं दी जाती है तो यह मतदाता सूची साक्ष्य के रुप में स्वीकार्य एवं विश्वसनीय है ।

14. वर्तमान मामले में, प्रतिवादियों द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह प्रदर्शित हो कि मतदाता सूची तैयार होने के बाद उसे कानून के अनुसार चुनौती दी गई थी । मतदाता सूची के उपलब्ध साक्ष्य पर हमला करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं लाया गया । प्रदर्श पी 01 एवं प्रदर्श पी 02 दर्ज किये गये आर्डर शीट की प्रतियां है एक आपराधिक पुनरीक्षण क्रमांक 64/1957 (रामप्रताप बनाम बागरमल) और दूसरा विविध आपराधिक मामला संख्या 44/190 (बागरमल बनाम रामप्रताप)है, जिसमे दिनांक 01.09.1955 के आदेश द्वारा द.प्र.स. की धारा 488 के तहत पारित आदेश को लागू करने की मांग की जाती है जो बागरमल और रामप्रताप के बीच बेटे जैसे रिश्ता दर्शाता है और इस तरह वादी यह साबित करने में सफल रहे है कि वे मृतक रामप्रताप के पुत्र और पत्नी है तथा रामप्रताप की संपत्ति के उत्तराधिकारी है और उनकी संपत्ति के वारिस है । इसलिए प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा ट्रायल कोर्ट के निर्णय एवं डिक्री को रद्द करना पूरी तरह से अनुचित है क्योकि अभिलेख में आया दस्तावेजो के आधार पर स्वीकार्य साक्ष्य प्रदर्श पी 1 और प्रदर्श पी 2 तथा प्रदर्श पी 7 से प्रदर्श पी 11 को नजरअंदाज करके निर्णय और डिक्री को मूल्यवान बनाया गया। कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के विपक्ष में दिया जाता है । यह पाया जाता है कि वादी, रामप्रताप के पुत्र और पत्नी है। प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निर्धारित को निरस्त किया गया है और विचारण न्यायालय का फैसला बहाल कर दिया गया है ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

15. परिणाम स्वरुप अपील की अनुमति दी जाती है तथा पक्षकारों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का दायित्य सौंपा जाता है ।

16 तदनुसार डिक्री तैयार की जाएगी ।

सही/ -
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**